

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/109/2007/32
प्रति,

भोपाल, दिनांक /08/2016

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक 4/7/2016 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।
संलग्न :यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

क्रमांक-एफ-3/109/2009/32
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4/07/2016

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

304/TC
06/07/16

Sujoya

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

08/07/16

268
se

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	965
दिनांक	05/7/16
शाखा	TC Add.D. (N)
आयुक्त	

08/07/16

08/07/16

08.7.16

ADm(A)

कृ. Website पर
तत्काल प्रकाशन करावे।

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
// सूचना //

भोपाल, दिनांक 04/07/2016

क्रमांक-एफ-3-109/2007/32:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/109/2007/32, दिनांक 28/12/2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल वर्गफीट में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम हिनोतिया	75/5 में से	10,000 वर्गफीट	आमोद प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक
		योग-	10,000 वर्गफीट		

- यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रु. 15,33,458/- (रुपये पन्द्रह लाख तैतीस हजार चार सौ अठावन रूपये मात्र) दिनांक 15/03/2016 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम शाखा जबलपुर के चालन क्रमांक- जे /057823200 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है।
- उक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
11/7/2016